न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)
बईलजास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

अपील संख्या – 52/2014

1. जाकिर हूसैन

2. मोहम्मद हूसैन पुत्रान वली मोहम्मद

समस्त जाति मुसलमान लुहार निवासी प्रागपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 14.03.2013 ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली

निर्णय दिनांक : 30.9.15

वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2013 बअनुवानी प्रभू बनाम बोदू की अनुपालना में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण गलत रूप से दर्ज किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री में विचाराधीन आराजी खसरा नम्बर 1532/0.79 वाके मोजा प्रागपुरा में प्रार्थी अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है और मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रार्थी अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया इसलिए उसके हिस्से की भूमि को निर्णय व डिक्री की अनुपालना में परिवर्तन किया जाना सम्भव नही था। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरित है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट पक्षकार नही था इसलिए उसका हिस्सा परिवर्तन नही किया सकता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित आये।

हमने बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 14.03.2013 ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली दर्ज कर दिया। तहसीलदार कोटपूतली ने उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट को बिना सुने ही दर्ज कर दिया एवं ना ही अपीलान्ट को न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में ही पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपील स्वीकार फरमाई जाने की कृपा

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तकरण न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.2013 की अनुपालना में दर्ज

किया गया है। जो सही दर्ज किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाने की कृपा करे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि उक्त नामान्तकरण न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय व डिक्री की अनुपालना में दर्ज किया गया है। जो कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जाती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में चल रहे प्रकरण की जानकारी पूर्व में ही थी तो उसे उसमें पक्षकार बनना चाहिये था एवं यदि प्रकरण का निस्तारण भी हो गया तो उसे अपीलीय न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1835 दिनांक 14.03.2013 ग्राम प्रागपुरा तहसील कोटपूतली खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)